(50)

श्रीमान अधिशासी महोदय

सहायक अभियन्ता महोदय,
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
ऊखीमठ जनपद–रूद्रपयाग।

:— नगर पंचायत अगरस्त्यमुनि के वार्ड नां0–2 सौड़ी, अमोटा में मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र।

य,

आपको अवगत कराना है कि आपने बर्ष 2015 में अगरस्तयमुनि–डोभा गणेशनगर मार्ग के 4 किमी0 की सर्वे की है जो कि वन भूमि वन पंचायत रूमसी की है। जबकि इसकी 1 किमी0 के 5.18 से होनी थी, जिसमें 500 मी0 भूमि केशरहीन है, और आगे नाप भूमि आ है व काश्तकार भूमि देने के लिए तैयार है। कृपया आप अपनी सर्वे टीम को माह सितम्बर/अक्टूबर जने की कृपा कीजिएगा।

अतः महोदय से निवेदन है कि अगरस्तसमुनि–डोभा गणेशनगर मार्ग के 1 किमी0 सर्वे की कृपा कीजिएगा।

समस्त सौड़ी ग्रामवासी आपके आभारी रहेगें।

भवदीय

नगर पंचायत अगरस्त्यमुनि
वार्ड नं0–02

लिपि:— [redacted] अध्यक्ष नगर पंचायत अगरस्त्यमुनि।

Copy to Sh. Pradeep Semwal J.E. for n.a as soon as possible. Case related to Hon. C.M. announcement. See your personal attention as
Ex Engr

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

परियोजना का नामः– मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–553/2015 के अन्तर्गत जनपद–रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र–केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में बेड़ूबगड़–जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

नगर पंचायत का नाम - अगस्त्यमुनि (वार्ड–2 सौड़ी–बनीयाड़ी)

तहसील - रूद्रप्रयाग, जिला – रूद्रप्रयाग,

अनापत्ति का प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड **मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–553/2015 के अन्तर्गत जनपद–रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र–केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में बेड़ूबगड़–जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु** राज्य वनभूमि **0.420 है०** मोटर मार्ग निर्माण हेतु व **0.195 है०** मक ड़िस्पोजल हेतु अर्थात कुल **0.615 है०** राज्य वनभूमि का लो०नि०वि० के पक्ष मे भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में नगर पंचायत द्वारा दिनांक 10/07/ /2017 को सम्पन्न बैठक में लो0नि0वि0 द्वारा आवेदित राज्य वनभूमि के संम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित पँचायती वनभूमि में आधिवासी अथवा किसी गैर आधिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी नगरवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त राज्य भूमि में किसी भी आधिवासी अथवा गैर आधिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित पँचायती वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त नगरपंचायत द्वारा सर्वसमति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि अगस्त्यमुनि (वार्ड–2 सौड़ी–बनीयाड़ी) के नगरवासियों को उक्त राज्य वनभूमि उक्त परियोजना हेतु लो0नि0वि0 को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

अध्यक्ष
नगर पंचायत अगस्त्यमुनि जनपद रुद्रप्रयाग

अध्यक्ष
नगर पंचायत अगस्त्यमुनि

प्रपत्र-30.4

परियोजना का नामः– मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–553/2015 के अन्तर्गत जनपद–रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र–केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में बेड़ूबगड़–जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

दिनांक 10/07/2017 को नगर पंचायत सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

नगर पंचायत का नाम - अगस्त्यमुनि (वार्ड–2 सौड़ी–बनीयाड़ी)

क्र.स.	नगर पंचायत सभा में उपस्थित वरिष्ठ नरगवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	2	3
1	सुनील सजवाण	[illegible]
2	गजेन्द्र सिंह	गजेन्द्र सिंह
3	विनोद सिंह	विनोद सिंह
4	प्रदीप सिंह सजवाण	प्रदीप सिंह
5	विक्रम सिंह सजवाण	[illegible]
6	Ashok K. Kandari	Ashok
7	रजपाल सिंह	रजपाल सिंह
8	Anil Kandari	[illegible]
9	कैलाश कुमार	कैलाश
10	R.S. Sajwan	R.S.

अध्यक्ष
नगर पंचायत अगस्त्यमुनि

अध्यक्ष
नगर पंचायत
अगस्त्यमुनि, जनपद रुद्रप्रयाग